बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या–01/2019

पद–प्रतिवेदक

आवश्यक सूचना

1. बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के स्वीकृत सभी 23 पद विगत कई वर्षों से रिक्त थे। बिहार विधान सभा सचिवालय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती हेतु कई बार परीक्षाओं का आयोजन किया गया, किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा वांछित मापदंड को पूरा नहीं कर पाने के कारण इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी।
2. बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018 के आलोक में विज्ञापन सं०–03/2018 के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा के निर्धारित मापदंड 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति को पूरा करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण आशुलिपि की गलती में अनुमान्य 10 प्रतिशत छूट के स्थान पर 25 प्रतिशत तक गलती करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर टंकण जांच परीक्षा आयोजित की गई, परन्तु टंकण जांच परीक्षा में कोई अभ्यर्थी वांछित शुद्धता प्रतिशत को प्राप्त नहीं कर पाया।
3. इस आलोक में यह निर्णय लिया गया कि राजपत्रित स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु हरेक स्तर पर अर्हता में छूट देना न्यायोचित नहीं है, जिस स्थिति में कोई भी अभ्यर्थी इस पद पर चयन के योग्य नहीं पाया गया।
4. उपरोक्त वर्णित प्रयासों के बावजूद प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बिहार विधान सभा का कार्य प्रभावित होने लगा। इस स्थिति में अपेक्षित गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियमावली में किये गए प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में विज्ञापन संख्या–01/2019 प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें यह उल्लेख है कि अपेक्षित गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित मापदंड में छूट देने की सीमा में वृद्धि की जा सकती है।
5. विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के रिक्त 23 पदों पर भर्त्ती हेतु आयोजित आशुलिपि की परीक्षा में मात्र 4 अभ्यर्थियों ने निर्धारित मापदंड को पूरा किया।
6. ऐसी स्थिति में विज्ञापन में वर्णित आशुलिपि की गलती में अनुमान्य छूट की सीमा में 10% वृद्धि करते हुए अतिरिक्त 77 अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ आशुलिपि परीक्षा में सफल घोषित किया गया कि यदि वे टंकण परीक्षा में भी सफल होते हैं तो वे नियुक्ति के एक वर्ष के अंदर आशुलिपि के लिए वांछित शब्द प्रति मिनट की गति को प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी सम्पुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।
7. इस प्रकार सफल घोषित कुल 81 (4+77) अभ्यर्थियों में से कुल 79 अभ्यर्थी टंकण जांच परीक्षा में सम्मिलित हुए।
8. टंकण परीक्षा के परीक्षाफल के अनुसार अभ्यर्थियों की स्थिति इस प्रकार है:–
   (i) आशुलिपि की परीक्षा में निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले चार अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थी टंकण जांच परीक्षा के निर्धारित मापदंड को पूरा करने में सफल हुए तथा दो अभ्यर्थी सफल नही हुए।
   (ii) शर्त के साथ सफल घोषित 75 अभ्यर्थियों में से 8 अभ्यर्थी टंकण जांच परीक्षा के निर्धारित मापदंड को पूरा करने में सफल हुए।
9. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदक के पद पर नियुक्ति के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि हरेक स्तर पर अर्हता में छूट देकर एक से अधिक शर्तों के अधीन नियुक्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए केवल एक शर्त्त के अधीन ही सफल होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रतिवेदक पद पर की जायेगी।
10. तदनुरूप दो अभ्यर्थी जिन्होंने आशुलिपि की परीक्षा में निर्धारित मापदंड को पूरा किया है, किन्तु टंकण परीक्षा में अनर्हित हुए हैं की इस शर्त के साथ नियुक्ति की गई कि वे एक वर्ष के अधीन निर्धारित टंकण परीक्षा के मापदंड को पूरा कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं निर्दिष्ट श्रेणी में सम्पुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।
11. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें एक छूट का लाभ देकर आशुलिपि की परीक्षा में सफल घोषित किया गया था तथा जो टंकण जांच परीक्षा में शामिल हुए और टंकण जांच परीक्षा में सफल हुए, को उनकी आशुलिपि परीक्षा की मेधा के आधार पर आरक्षण कोटिवार नियुक्ति, इस शर्त के साथ की गई कि वे एक वर्ष के अधीन निर्धारित आशुलिपि परीक्षा के मापदंड को पूरा कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं निर्दिष्ट श्रेणी में सम्पुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।
12. टंकण जांच परीक्षा में शामिल 75 अभ्यर्थियों की श्रेणी में से सफल 8 अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार कुल छः अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। शेष दो अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में होने के कारण अंतिम मेधा सूची में नहीं आ पाये।
13. प्रतिवेदक पद के लिए वांछित अर्हता वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होने के कारण अभी भी 13 पद रिक्त रह गये हैं। इन रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या–01/2019 अन्तर्गत आशुलिपि परीक्षा में सशर्त उत्तीर्ण शेष अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाकर पुनः उन्हें एक अवसर देने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में अलग से सूचना प्रकाशित की जायेगी।

25.02.2020

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।